



पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक यांचे कार्यालय,
बंगला नं ६ येरवडा पोस्ट ऑफीस जवळ,
पुणे-४११००६



जावक क्रमांक - पोउपआ/वाह/नियो/ ३६९४/२०२३

दिनांक :- १७/०८/२०२३

प्रसेनोट

पुणे मुंबई-बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए यातायात शाखा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण बोर्ड, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, पुणे द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने कात्रज बोगदा से नवले पुल तक के क्षेत्र का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं।

देखने में आया है कि मुंबई-बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवीन कात्रज बोगदा से नवले पुल तक के क्षेत्र में जो घातक एवं गंभीर दुर्घटनाएँ हुई हैं वे मुख्य रूप से भारी वाहनों के कारण हुई हैं। फिर भी अब तक के अध्ययन से पता चला है कि जब भारी वाहन/भारी परिवहन वाहन घाटों से होकर गुजरते हैं, तो वाहन का ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता है और चालक वाहन से नियंत्रण खो देता है। इसके अनुसार समिति की अब तक की बैठकों में वाहनों की गति को नियंत्रित करने को गंभीर मुद्दा मानते हुए चर्चा की गई है और इस कारण इस राजमार्ग पर भारी यातायात वाले वाहनों के लिए कात्रज बोगदा और नवले पुल के बीच ४० किमी. / घंटा गति सीमा तय करने के लिए सर्वसम्मति से सुझाव दिया गया है।

उक्त दुर्घटना को रोकने के लिए इस क्षेत्र में परिवहन करने वाले भारी और भारी वाहनों की गति को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग एम.व्ही.ए. ०१२६/८७१/सीआर-३७/ टीआरए -२, दिनांक २७/०२/१९९६ मोटर वाहन अधिनियम की धारा ११५ ११६(१)(ए)(बी) के तहत ११६ (४) और ११७ में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं विजयकुमार मगर, पुलिस उपायुक्त, वाहतूक, पुणे शहर, मुंबई-बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कात्रज बोगदा और नवले पुल के बीच चलने वाले सभी प्रकार के भारी, भारी वाहनों पर (ट्रैक्टर ट्रेलरों कॉम्बिनेशन, ट्रक-ट्रेलर, आर्टिकुलेटेड वाहन, मल्टी-एक्सल वाहन, कंटेनर, ओवरसाइज्ड गुड्स ट्रांसपोर्टिंग वाहन) पायलट बेसिस पर दिनांक १२/०५/२०२३ रात ००.०१ से दिनांक २५/०५/२०२३ को २४.०० बजे तक गति सीमा के आदेश जारी करता हूँ।

आपत्कालीन आदेश

- ❖ मुंबई-बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कात्रज बोगदा और नवले पुल के बीच चलने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों (ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन, ट्रक-ट्रेलर, आर्टिकुलेटेड वाहन, मल्टी-एक्सल वाहन, कंटेनर, बड़े माल वाहन) के लिए ४० किमी प्रति घंटे की गति सीमा तय की जा रही है।

हालाँकि, यदि नागरिकों के पास इस संबंध में कोई सुझाव है, तो वे पुलिस उपायुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, बंगला नं. ६, जेल रोड, येरवडा, पुणे के कार्यालय में दिनांक २६/०५/२०२३ प्रातः ११.०० बजे तक लिखित रूप में सूचित किया जाना है। अंतिम आदेश नागरिकों के सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद और आवश्यक सेवा वाहनों (जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन आदि) को छोड़कर लिया जाएगा।

(विजयकुमार मगर)

पुलिस उपायुक्त, यातायात,
पुणे शहर पुलिस